

जैव ईंधन नीति में संशोधन को मंजूरी

बीपीसीएल का निजीकरण रुका

19/05/2022

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सरकार ने पेट्रोल में एथनॉल के 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य पांच साल पहले यानि 2025-26 तक हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य पूर्व निर्धारित करने पर मुहर लगा दी है। सरकार ने यह फैसला जैव ईंधन के उत्पादन में तेजी लाने और आयातित तेल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पहले तय की गई समयसीमा वर्ष 2030 से पहले 2025-26 तक हासिल करने से संबंधित है। अभी पेट्रोल में करीब 10 फीसदी एथनॉल मिलाया जाता है।

इसके साथ जैव ईंधन के उत्पादन के लिए और कुछ और कच्चे माल के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इनको को वाहन ईंधन में मिलाया जा सकता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास में अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। कैबिनेट ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने की भी मंजूरी दी है। भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। सरकार के इन निर्णयों से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी।

नई दिल्ली, एजेसी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) का निजीकरण रुक गया है। एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि ईंधन कीमतों पर स्पष्टता की कमी के चलते दो बोलीदाता पीछे हट गए हैं, जिसके बाद इस कंपनी को हासिल करने की दौड़ में सिर्फ एक बोलीदाता बचा है।

सरकार ने बीपीसीएल में अपनी पूरी 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी और मार्च, 2020 में बोलीदाताओं से रुचि पत्र आमंत्रित किए थे। नवंबर, 2020 तक कम से कम तीन बोलियां आईं, लेकिन अन्य के अपनी पेशकश वापस लेने के बाद अब केवल एक बोलीदाता बीपीसीएल के अधिग्रहण की दौड़ में बचा है।

उद्यमों पर निर्णय निदेशक मंडल लेगा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडलों को इकाइयों एवं उनकी अनुषंगिक इकाइयों को बंद करने, उनका विनिवेश करने संबंधी फैसले लेने का अधिकार दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल को वर्तमान में कुछ शक्तियां प्राप्त हैं जिनके तहत वे वित्तीय संयुक्त उपक्रम या पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई स्थापित करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकते हैं हालांकि इसमें भी शुद्ध संपत्ति संबंधी कुछ सीमाएं होती हैं।

फैसला